**राजस्थान सरकार**
**चिकित्सा शिक्षा ( ग्रुप-I ) विभाग**

क्रमांक प. 1( 59 )एम.ई./ग्रुप-1/1996 जयपुर, दिनांक 16/8/17

<u>आदेश</u>

इस विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2016 द्वारा डॉ0 कुलदीप सिंह बेनीवाल, वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमेस्ट्री के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। डॉ0 बेनीवाल को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी थी।

डॉ0 बेनीवाल को स्वयं के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु समयावधि में वृद्धि करने पश्चात् भी डॉ0 बेनीवाल द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 बेनीवाल नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ0 बेनीवाल के निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः कुलदीप सिंह बेनीवाल के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 17.09.2016 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
16/8/17
( भगवत सिंह )
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(34)भर्ती/गोपनीयता/2013-14/109 दिनांक 27.06.2016 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

16/8/17
( महेश व्यास )
सहायक शासन सचिव